गुड्डी बनाम ग्राम पंचायत सरकार जरिये तहसीलदार
मुकदमा संख्याः—12 / 03 / 2024
निर्णय दिनांक 19.09.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्या :—12 / 03 / 2024 ऑनलाईन नम्बरः— 2024 / 526 प्रवेश तिथिः— 04.09.2024

1. गुड्डी पत्नी श्री नत्थू राम जाति राणा आयु करीब 36 साल।
2. सानिया पुत्र नत्थू राम जाति राणा आयु करीब 18 साल निवासी ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर। ....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर।
2. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दुब्बी पंचायत समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर। ....रेस्पोडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

अपील बनाराजगी नामान्तकरण संख्या 854
निर्णय दिनांक 26.02.2024 वाके ग्राम पंचायत दुब्बी
तहसील राजगढ जिला अलवर
उपस्थित — 1. श्री रमेश चन्द शर्मा एड0 अपीलान्ट
दिनांक 19.09.2025

—:निर्णयः—

1 आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 482 / 0.2100, 483 / 0.4800, 495 / 0.57, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसका इन्तकाल संख्या 854 निर्णय दिनांक 19.02.2024 ग्राम पंचायत दुब्बी के द्वारा खारीज कर दिया गया था। उपरोक्त आराजी अपीलान्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। जो प्रार्थीगण अपीलान्टान को उनके पति व पिता नत्थू राम पुत्र किशोरी लाल राणा निवासी अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर से विरासत में प्राप्त हुयी है। अपीलान्ट के पिता नत्थु राम का स्वर्गवास दिनांक 10.10.2010 को हो चुका हैं आपीलान्ट ने अपने पिता व पति नत्थू राम की उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु ऑन लाईन पटवारी हल्का दुब्बी के समक्ष आवेदन किया था। जिसे पटवारी हल्का दुब्बी द्वारा अपीलान्टान के पिता व पति नत्थू राम की विरासत का नामांतकरण संख्या 854 दिनांक 19.02.2024 को आपीलान्टान के नाम दर्ज कर वास्ते फैसल हेतु ग्राम पंचायत की बैठक के समक्ष पेश किया जिसमें ग्राम पंचायत दुब्बी द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26.02.2024 में लिया गया और प्रस्ताव संख्या 8 में टिप्पणी दर्ज करते हुये नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया। जबकि निर्णय से पुर्व मृतक के वारिसाने की पूर्ण जॉच पडताल की जानी चाहिए थी। लेकिन ग्राम पंचायत दुब्बी द्वारा कानुनी प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुये नामा0 को अस्वीकार की दिया गया जो गलत है। ग्राम पंचायत ने बैठक दिनांक 26.02.2024 को टिप्पणी दर्ज कि गई की नत्थू राम की पत्नी गुड्डी देवी ने नत्थू राम की मृत्यु के बाद दूसरी जगह भरतपुर में शादी कर ली है। लेकिन इस बाबत शिकाश्त कर्ता से कोई दस्तावेज या सबूत नही लिये है। इस कारण ग्राम पंचायत दुब्बी का उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्टन ने नामान्तकरण संख्या 854 निर्णय दिनांक 26.02.2025 वाके ग्राम अनावडा ग्राम पंचायत दुब्बी को रिमाण्ड किया जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। रेस्पो0 संख्या 2 की और से कोई जवाब पेश नही किया गया इसलिए उनका जवाव वन्ध किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाद सुचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

3. बहस वकील अपीलान्ट की सुनी। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 482/0.2100, 483/0.4800, 495/0.57, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसका इन्तकाल संख्या 854 निर्णय दिनांक 19.02.2024 ग्राम पंचायत दुब्बी के द्वारा खारीज कर दिया गया था। उपरोक्त आराजी अपीलान्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। जो प्रार्थीगण अपीलान्टान को उनके पति व पिता नत्थू राम पुत्र किशोरी लाल राणा निवारी अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर से विरासत में प्राप्त हुयी है। अपीलान्ट के पिता नत्थु राम का स्वर्गवास दिनांक 10.10.2010 को हो चुका हैं आपीलान्ट ने अपने पिता व पति नत्थू राम की उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु ऑन लाईन पटवारी हल्का दुब्बी के समक्ष आवेदन किया था। जिसे पटवारी हल्का दुब्बी द्वारा अपीलान्टान के पिता व पति नत्थू राम की विरासत का नामांतकरण संख्या 854 दिनांक 19.02.2024 को आपीलान्टान के नाम दर्ज कर वास्ते फैसल हेतु ग्राम पंचायत की बैठक के समक्ष पेश किया जिसमें ग्राम पंचायत दुब्बी द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26.02.2024 में लिया गया और प्रस्ताव संख्या 8 में टिप्पणी दर्ज करते हुये नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया। जबकि निर्णय से पुर्व मृतक के वारिसाने की पूर्ण जॉच पडताल की जानी चाहिए थी। लेकिन ग्राम पंचायत दुब्बी द्वारा कानुनी प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुये नामा0 को अस्वीकार की दिया गया जो गलत है। ग्राम पंचायत ने बैठक दिनांक 26.02.2024 को टिप्पणी दर्ज कि गई की नत्थू राम की पत्नी गुड्डी देवी ने नत्थू राम की मृत्यु के बाद दूसरी जगह भरतपुर में शादी कर ली है। लेकिन इस बाबत शिकाश्त कर्ता से कोई दस्तावेज या सबूत नही लिये है। इस कारण ग्राम पंचायत दुब्बी का उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्टन ने नामान्तकरण संख्या 854 निर्णय दिनांक 26.02.2025 वाके ग्राम अनावडा ग्राम पंचायत दुब्बी को रिमाण्ड किया जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में बहस अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात नकल नामान्तकरण संख्या 854 निर्णय दिनांक 26.02.2024, ग्राम पंचायत बैठक विवरण दिनांक 26.02.2024, मृत्यु प्रमाण पत्र नत्थूराम जारी दिनांक 24.09.2020, भारत निवार्चन आयोग पहचान पत्र जी.एच.एक्स./0990416, प्रमाण पत्र अन्य पिछड वर्ग सानिया पुत्री नत्थूराम 22466530062, सुश्री सानिया पुत्री नत्थूराम मुल निवास क्रमांक 22466519802, मृत्य प्रमाण पत्र गुड्डी देवी जारी दिनांक 26.02.2024, का भी अवलोकन किया। मृतक नत्थूराम पुत्र श्री किशोरी लाल राणा के विरासत का नामान्तकरण अपीलान्टान के नाम दर्ज करना था। लेकिन ऐसा नही किया गया। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाता उचित प्रतीत होता है।

आदेश है की

अपील अपीलान्ट विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत दुब्बी पंचायत समिति राजगढ बाबत् इन्तकाल संख्या 854 निर्णय दिनांक 26.02.2024 आराजी खसरा संख्या 482/0.2100, 483/0.4800, 495/0.57, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर के आदेश ग्राम पंचायत दुब्बी के नामान्तकरण संख्या 854 दिनांक 26.02.2024 को खारीज/निरस्त/अस्वीकार कर तहसीलदार राजगढ को आदेशित किया जाता है कि वारिसानों की जॉच कर पुनः इन्तकाल/नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते